

मम नरल वाद पत्र से की जा कर पत्रावली  
जवाब हेतु दिनांक 27/6/24 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ  
जिला-राजसमन्द

29 <sup>5</sup>/<sub>24</sub> अधिवक्ता वादी द्वारा पत्रावली तलवी द्वारा पत्र पेश करने से आज  
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी द्वारा पत्रावली पत्र  
बालक आदेश 6 दिनांक 17 अपरिचित था। 15। सी. जी. सी.  
का पेश कर विवेक विद्या कि ग्राम पासुन के पत्र  
संख्या 863 आराजी नम्बर 4009/4 डिस्ट्रिक्ट  
आपसी है जिसका हदबत से वाद पत्र में कृषिपूर्व  
अर्बत हो गया है जिसको वाद पत्र में लालखादी से  
हदबत जाने एवं हदबत कर पत्र के का आदेश  
प्रकार कर्तव्य। पत्रावली पत्र व पत्रावली का अर्बत  
विद्या हुआ। पत्र लीकट विद्या जा रही  
एवं लालखादी से हदबत का हदबत विद्या  
जा रहा है पत्रावली दिनांक 27-6-24 को पेश हो

19 <sup>6</sup>/<sub>24</sub>

वादी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली तलवी का पत्रावली पत्र पेश  
करने से पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता वादी द्वारा  
पत्रावली पत्र में अर्बत विद्या है व विवेक विद्या है। वि  
पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है  
कोई विवाद शेष नहीं है जिससे इस प्रकरण में आगे  
कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। वादी व उनके अधिवक्ता  
द्वारा कोई कार्रवाई इस प्रकरण में नहीं चाहते है  
प्रकरण इसी स्तर पर खारिज विद्या जा रहा है।  
पत्रावली फैसल थुमार हो कर नम्बर से पत्र हो।  
निर्णय सुप्री न्यायालय में हुआ।

सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ  
जिला-राजसमन्द



Handwritten signature and blue ink stamp.